RESEARCH COMMUNICATIONS
(An International Open Access, Peer Reviewed, Multidisciplinary Online Journal)
https://research-communications.cmpcollege.ac.in
ISSN: 2584-1270
Volume: 2, Issue: 1, January-June 2024, pp. 233-251

भारतीय श्रमिकों के अधिकार- संरक्षण हेतु डॉ भीमराव अम्बेडकर का योगदान

रमेश कुमार भारती

असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग
सी॰एम॰ पी॰ डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

संक्षेप

यदि भारत में मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला कोई व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आधुनिक भारत के जनक और क्रांतिकारी डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर थे। इस क्षेत्र यदि डॉ. अम्बेडकर का योगदान न होता तो आधुनिक भारतीय मजदूरों का भविष्य घोर अंधकार में होता। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में निहित श्रम प्रावधानों को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रावधानों ने श्रमिकों के संरक्षण हेतु मौलिक अधिकारों और सिद्धांतों को निर्धारित किया, जिसमें समानता का अधिकार, भेदभाव का निषेध और उचित मजदूरी और काम करने की स्थिति का अधिकार शामिल है। वह भारत के एकमात्र नेता रहे, जो बहुआयामी और महान दूरदर्शी थे और जिन्होंने श्रमिकों के संरक्षण हेतु सर्वाधिक कार्य किया। यह लेख भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए डॉ. अम्बेडकर के बहुमुखी योगदान, उनकी दृष्टि, प्रयासों और भारतीय श्रम परिदृश्य पर उनके स्थायी प्रभाव की बारीकियों का विश्लेषण करता है। इस लेख का उद्देश्य भारतीय श्रमिकों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और अधिकार-केंद्रित ढांचे को आकार देने में डॉ. अंबेडकर के योगदान के महत्व का विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

मुख्य शब्द: *श्रमिक, अधिकार, संरक्षण, मानवाधिकार*

प्रस्तावना

"छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है"

– डॉ भीमराव अम्बेडकर

भारत के इतिहास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित हैं। उनके बहुआयामी योगदान कानूनी ढांचे से कहीं आगे तक विस्तृत हैं, जिसमें सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। जिन प्रमुख क्षेत्रों में डॉ. अम्बेडकर ने स्थायी योगदान दिया, उनमें से एक भारतीय श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण करना है। स्वतंत्रता-पूर्व भारत के उथल-पुथल भरे परिदृश्य में, डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय श्रमिकों, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उनकी दुर्दशा के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हुए उन्होंने श्रमिकों को शोषण, भेदभाव और अभाव से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को पहचाना।

डॉ. अम्बेडकर की दूरदर्शिता और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने एक ऐसे कानूनी ढांचे के लिए आधार तैयार किया जो पूरे देश में श्रमिकों के हितों और अधिकारों का समर्थन करेगा। उनके अथक प्रयास केवल सैद्धांतिक विमर्श तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि व्यावहारिक कार्यवाही में भी परिणित हुये। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका ने उन्हें स्वतंत्र भारत के मूलभूत दस्तावेज-संविधान को आकार देने की जिम्मेदारी प्रदान की। इस क्षमता में, उन्होंने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रावधान तैयार किए जो श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों और सिद्धांतों को सुनिश्चित करते थे।इस क्षेत्र में डॉ. अम्बेडकर का योगदान संवैधानिक प्रावधानों का मसौदा तैयार करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वकालत, आंदोलन और नीति निर्माण तक भी विस्तारित था। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के

संरक्षण हेतु अथक रूप से समर्थन किया और राष्ट्रीय नीति निर्माण में उन्हें शामिल करने की वकालत की। उनके प्रयासों ने श्रम अधिकारों की धारणा में एक आदर्श बदलाव को उत्प्रेरित किया, उन्हें सामाजिक न्याय और न्यायसंगत विकास की प्राप्ति के लिए आवश्यक मौलिक अधिकारों की स्थिति तक बढ़ाया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण में डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को समझने के लिए, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सन्दर्भ महत्वपूर्ण है जिसके खिलाफ उनके ये प्रयास सामने आए। भारत में श्रम अधिकारों के लिए संघर्ष की जड़ें औपनिवेशिक युग में हैं जब ब्रिटिश शासन के तहत शोषणकारी श्रम प्रथायें व्याप्त थीं। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, जिसमें आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि गतिविधियों में लगा हुआ था। हालांकि, ब्रिटिश औद्योगीकरण के आगमन ने कारखानों और उद्योगों की स्थापना की, विशेष रूप से शहरी केंद्रों में। इस संक्रमण ने महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाए, जिसमें कुशल और अकुशल दोनों तरह के मजदूरों वाले एक औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उदय शामिल था। इस अवधि के दौरान भारतीय कामगारों द्वारा सामना की जा रही परिस्थितियां बहुत ही दयनीय थीं, जिनकी वजह लंबे समय तक काम करने के घंटे, अल्प मजदूरी, नौकरी की सुरक्षा की कमी और खतरनाक कार्य वातावरण था। लाभ के उद्देश्यों से प्रेरित ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने शोषणकारी श्रम कानूनों और नीतियों को लागू किया, जिन्होंने श्रमिकों के कल्याण पर औपनिवेशिक पूंजीपतियों के हितों को प्राथमिकता दी। श्रम का शोषण जाति, वर्ग और जातीय रेखाओं के साथ भारतीय समाज के स्तरीकरण से बढ़ गया था। दलितों, आदिवासियों और अन्य हाशिए वाले समुदायों को सामाजिक-आर्थिक पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर असमान रूप से धकेल दिया गया, ग्रामीण और शहरी श्रम बाजारों दोनों में प्रणालीगत भेदभाव और शोषण किया

गया।

इसी सामाजिक-आर्थिक परिवेश में डॉ. भीमराव अम्बेडकर श्रमिकों सहित भारतीय समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए आशा की किरण के रूप में उभरे। दलित समुदाय के एक प्रमुख नेता और सामाजिक न्याय के प्रबल पैरोकार के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने जातिगत उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के परस्पर संबंध को पहचाना। वह समझते थे कि श्रमिकों सहित हाशिए के समुदायों की मुक्ति के लिए न केवल राजनीतिक सशक्तिकरण बल्कि सामाजिक-आर्थिक उत्थान की भी आवश्यकता है।भारतीय कामगारों के अधिकारों के लिए डॉ. अम्बेडकर की वकालत सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण की उनकी व्यापक दृष्टि के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की, जहां प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या पंथ का हो, समान अधिकारों और अवसरों का आनंद लेगा, जिसमें सम्मानजनक काम और उचित मजदूरी का अधिकार शामिल है।

एक विद्वान विधिवेत्ता के रूप में अपने शानदार जीवन के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक अन्याय और असमानताओं के विरुद्ध अथक संघर्ष किया, जिनमें भारतीय कामगारों के विरुद्ध अत्याचार भी शामिल हैं। "जाति का विनाश" और "रुपये की समस्या: इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान" जैसे उनके मौलिक रचना कार्यों ने सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता का तीक्ष्ण विश्लेषण प्रदान किया, जिसने भारतीय समाज में असमानता और शोषण को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय संविधान के प्रारूपण में डॉ. अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका ने सामाजिक न्याय और समानता के उनके दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से मौलिक अधिकारों और सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित किया जाए, जिससे स्वतंत्र भारत में अधिक न्यायसंगत और अधिकार-केंद्रित श्रम ढांचे के लिए आधार तैयार किया जा सके।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक लम्बा संघर्ष किया गया है, जिसका यहाँ पर संक्षेप में विश्लेषण समीचीन है। 20 मार्च, 1927 महाड सत्याग्रह शुरू हुआ, डॉ. भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र में महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहाँ पर उन्होंने जाति-आधारित भेदभाव को चुनौती देते हुए सार्वजनिक स्थानों, विशेष रूप से चावदार झील जैसे जल स्रोतों तक पहुंचने के दलित अधिकारों की वकालत किया। इसी दिन महाड सत्याग्रह के हिस्से के रूप में, डॉ. अंबेडकर और समर्थक चावदार झील से पानी पीकर प्रतीकात्मक रूप से दलित अधिकारों का दावा किया और जाति-आधारित प्रतिबंधों को चुनौती दिया।

सन् 1936 में डॉ. आंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जो श्रमिकों, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों के लोगों के हितों को प्राथमिकता देती है, जो उनके अधिकारों और कल्याण की वकालत करती है। सन् 1942 में डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की, जो एक राजनीतिक दल है जिसका उद्देश्य श्रम अधिकारों सहित दलित हितों का प्रतिनिधित्व करना और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की वकालत करना है। डॉ. अम्बेडकर ने एक श्रमिक नेता के रूप में 1942 और 1946 के बीच वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में मजदूरों के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने 7 जुलाई, 1942 को वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में शपथ ली। सन् 1947 में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ की, जिसमें श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम अधिकारों और सुरक्षा का समावेश सुनिश्चित किया। 26 जनवरी, 1950 को डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में तैयार किए गए भारतीय संविधान को अपनाया गया, जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों और सिद्धांतों को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार, भेदभाव का निषेध और उचित मजदूरी और काम करने की स्थिति शामिल है।

सन् 1952 में डॉ. अंबेडकर ने भारत में हाशिए के समुदायों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए प्रयास करते हुए दलित और श्रम अधिकारों की वकालत करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये घटनाएं श्रम अधिकारों के प्रति डॉ. अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान और सभी श्रमिकों, विशेष रूप से हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। संक्षेप में, भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को औपनिवेशिक शोषण, जाति उत्पीड़न और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक न्याय

डॉ. भीमराव अम्बेडकर समाज में सभी के लिए चीजों को निष्पक्ष और समान बनाने में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने देखा कि कई भारतीय श्रमिकों, विशेष रूप से जिनके साथ उनकी पृष्ठभूमि के कारण गलत व्यवहार किया गया था, को बहुत दुर्व्यवहार और अनुचितता का सामना करना पड़ा। डॉ. अम्बेडकर ने इस भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए अथक प्रयास किया। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रत्येक श्रमिक के पास समान अवसर और अधिकार हो। ऐसा करने के लिए उन्होंने मजबूत कानूनों का होना बहुत महत्वपूर्ण माना, जो श्रमिकों की रक्षा करते और सुनिश्चित करते कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए। डॉ. आंबेडकर समझते थे कि दलितों और आदिवासियों जैसे हाशिए के समुदायों के श्रमिकों को अक्सर सबसे खराब व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उनके साथ न केवल उनके काम के कारण भेदभाव किया गया, बल्कि इसलिए भी कि वे कौन थे। उन्होंने इस अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि हर कोई सम्मान और समान अवसरों का हकदार है, चाहे उनकी जाति, धर्म या वे कहीं भी पैदा हुए हों।

अपने भाषणों, लेखन और कार्यों के माध्यम से, डॉ. अम्बेडकर ने ऐसे कानूनों की

आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो सभी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करें। वह एक ऐसी कानूनी व्यवस्था बनाना चाहते थे जो यह सुनिश्चित करे कि हर श्रमिक के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए और उसे विकास करने का उचित मौका दिया जाए। सामाजिक न्याय के प्रति डॉ. अम्बेडकर के समर्पण ने भारत में श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। उनके प्रयासों ने उन कानूनों की नींव रखी जो आज भी देश भर में श्रमिकों के लिए उचित उपचार और अवसर सुनिश्चित करना जारी रखते हैं।

श्रमिक विधियों के निर्माण में अम्बेडकर की भूमिका

जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था और अपनी सरकार स्थापित कर रहा था, तो उस समय सबसे बड़े कार्यों में से एक भारतीय संविधान का निर्माण करना था, जो देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करेगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को लिखने के लिए जिम्मेदार समिति थी। डॉ. आंबेडकर ने जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, उनमें से एक श्रमिकों के अधिकार थे।

श्रमिकों के लिए भारत के संविधान में प्रावधान

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि प्रत्येक श्रमिक के साथ उचित और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा शामिल है। यहां कुछ प्रमुख प्रावधानों को संदर्भित किया जाना समीचीन है जिन पर उन्होंने काम किया:

1. समानता का अधिकार

डॉ. अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान श्रमिकों सहित सभी नागरिकों के लिए समानता की गारंटी देता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी श्रमिक के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग या पृष्ठभूमि के कारण भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

सभी के पास समान अवसर होने चाहिए और केवल उनकी क्षमताओं और काम से न्याय किया जाना चाहिए।

2. भेदभाव का निषेध

उन्होंने कुछ ऐसे विशिष्ट प्रावधानों को शामिल किया जो किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करते थे। यह एक ऐसे देश में महत्वपूर्ण था जहां जाति आधारित भेदभाव व्यापक था। भेदभाव पर प्रतिबंध लगाकर, डॉ. अम्बेडकर ने एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्यस्थल बनाने का लक्ष्य रखा जहां सभी को समान अधिकार और अवसर मिले।

3. उचित मजदूरी का अधिकार

डॉ. अम्बेडकर बखूबी जानते और समझते थे कि श्रमिकों को कम मज़दूरी दिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। इसका समाधान करने के लिए, उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान उचित मजदूरी के अधिकार का समर्थन करता है। इसका मतलब यह है कि श्रमिकों को उनके श्रम के लिए उचित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, जो स्वयं और उनके परिवारों का पालन-पोषण करने के लिए पर्याप्त हो।

4. समुचित कार्य परिस्थितियों का अधिकार

उन्होंने सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिस्थितियों के महत्व पर भी जोर दिया। श्रमिकों को खतरनाक या अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम नहीं करना चाहिए। संविधान में यह सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल किये गए कि नियोक्ता सभ्य काम करने की स्थिति प्रदान करें और अपने श्रमिकों के साथ मानवीय व्यवहार करें।

संविधान पर डॉ. अम्बेडकर का कार्य न्यायसंगत और समतामूलक समाज के उनके दृष्टिकोण से प्रेरित था। उनका मानना था कि भारत की प्रगति के लिए, अपने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक था, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। संविधान में इन अधिकारों का प्रावधान करके, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य की सरकारें इन

सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बाध्य होंगी, जिससे सभी श्रमिकों के लिए एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा। संक्षेप में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में प्रमुख श्रम अधिकारों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि श्रमिकों के समानता, उचित मजदूरी और सभ्य काम करने की स्थिति के अधिकारों को देश के उच्चतम कानून द्वारा संरक्षित किया गया।

इन श्रम प्रावधानों को संविधान में शामिल करके डॉ. अम्बेडकर ने श्रमिकों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने का लक्ष्य रखा। ये अधिकार सिर्फ सैद्धांतिक नहीं थे बल्कि ये कई कानूनों और नियमों का आधार बने। यहाँ पर उदाहरण के लिए उन कुछ महत्वपूर्ण विधियों का सन्दर्भ लेना समीचीन होगा, जो डॉ. आंबेडकर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को आधार बनाकर अधिनियमित किये गए।

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को स्वयं और उनके परिवारों को बनाए रखने के लिए न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो। यह अधिनियम अनिवार्य करता है कि नियोक्ता अपने श्रमिकों को एक मजदूरी का भुगतान करते हैं जो एक निर्दिष्ट न्यूनतम से कम नहीं है, जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अधिनियम में सरकार को विभिन्न प्रकार के कार्यों और विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करने की आवश्यकता है। जीवन यापन की लागत में बदलाव के लिए समय-समय पर मजदूरी की समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए। अधिनियम उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनके तहत मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए, जैसे, समय पर और पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देकर, यह अधिनियम शोषण को रोकने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक बुनियादी जीवन स्तर बनाए रख सकें।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, औद्योगिक विवादों की जांच और समाधान के लिए तंत्र प्रदान करता है, निष्पक्ष प्रथाओं और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित करता है। अधिनियम सुलह, मध्यस्थता और अधिनिर्णय के माध्यम से विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करता है। यह छंटनी और तालाबंदी को नियंत्रित करता है, जिससे नियोक्ताओं को प्रभावित श्रमिकों को नोटिस और मुआवजा देने की आवश्यकता होती है। यह अधिनियम श्रमिकों के हड़ताल करने और यूनियन बनाने के अधिकारों की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करता है कि नियोक्ताओं के साथ बातचीत में उनकी महत्ता हो। यह अधिनियम औद्योगिक शांति बनाए रखने में मदद करता है और श्रमिकों को अनुचित श्रम प्रथाओं से बचाता है।

3. कारखाना अधिनियम,1948

कारखाना अधिनियम, 1948 का उद्देश्य कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है। यह विनिर्माण इकाइयों में काम करने की स्थिति के लिए नियम निर्धारित करता है। अधिनियम काम के घंटों को नियंत्रित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों पर अधिक काम न हो और उनके पास पर्याप्त आराम अवधि हो। इसमें कारखानों में स्वच्छता, उचित वेंटिलेशन और सुरक्षित काम करने की स्थिति बनाए रखने के प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम श्रमिकों के लिए सुविधाओं को अनिवार्य करता है, जैसे कि पेयजल, टॉयलेट और प्राथमिक चिकित्सा उपकरण। यह अधिनियम श्रमिकों को खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों से बचाता है और एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है।

4. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और

स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को बीमारी, मातृत्व, विकलांगता या मृत्यु के कारण वित्तीय संकट से बचाना है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के माध्यम से श्रमिक और उनके आश्रित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करते हैं। अधिनियम बीमारी, मातृत्व अवकाश और रोजगार से संबंधित चोटों की अवधि के दौरान श्रमिकों को नकद लाभ प्रदान करता है। नियोक्ता और कर्मचारी ईएसआई फंड में योगदान करते हैं, जो लाभों को वित्तपोषित करता है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों की जरूरत के समय स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सहायता तक पहुंच हो, जिससे उनकी समग्र भलाई को बढ़ावा मिले।

5. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, श्रमिकों को मजदूरी के समय पर और पूर्ण भुगतान को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य मजदूरी भुगतान में अनधिकृत कटौती और देरी को रोकना है। नियोक्ताओं को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक किया गया है, जिससे श्रमिकों के लिए नियमित आय सुनिश्चित होती है। अधिनियम उन कटौतियों के प्रकारों को सीमित करता है जो श्रमिकों के वेतन से की जा सकती हैं, उन्हें अनुचित प्रथाओं से बचाती हैं। श्रमिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि उनकी मजदूरी में देरी हो रही है या गलत तरीके से कटौती की जाती है। यह अधिनियम श्रमिकों को अनियमित मजदूरी भुगतान के कारण होने वाली वित्तीय अस्थिरता से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें उनकी देय कमाई तुरंत प्राप्त हो।ये अधिनियम सामूहिक रूप से भारतीय श्रमिकों के निष्पक्ष उपचार, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत में श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय पर डॉ. अम्बेडकर के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं।

6. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

यह कानून श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने और उनमें शामिल होने की अनुमति देता है। ट्रेड यूनियन ऐसे संगठन हैं जो श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी ओर से नियोक्ताओं के साथ बातचीत करते हैं। कानून ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने और चलाने के नियमों को निर्धारित करता है। ट्रेड यूनियन अधिनियम श्रमिकों को सामूहिक आवाज देकर उन्हें सशक्त बनाता है। यूनियनों के माध्यम से, श्रमिक बेहतर मजदूरी, काम करने की स्थिति और अन्य लाभों पर बातचीत कर सकते हैं। यह श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच शक्ति को संतुलित करने में मदद करता है। यह अधिनियम डॉ आंबेडकर के उस प्रयास को सफल करता है जिसमें उन्होंने श्रमिकों को सशक्त स्थिति में देखना चाहते थे।

7. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

यह कानून सुनिश्चित करता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान भुगतान किया जाये। यह लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और नियोक्ताओं को समान या समान नौकरियों के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान मजदूरी का भुगतान करने को बाध्य है। समान पारिश्रमिक अधिनियम यह सुनिश्चित करके कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करता है कि महिलाओं को उचित भुगतान किया जाये। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन अंतर को कम करता है और समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का समर्थन करता है।

8. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

यह कानून महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और बाद में सवेतन अवकाश मिले।

अधिनियम महिला श्रमिकों के लिए न्यूनतम 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को अनिवार्य करता है और इसमें नर्सिंग ब्रेक और अन्य लाभों के प्रावधान शामिल हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम यह सुनिश्चित करके महिला श्रमिकों का समर्थन करता है कि उनके पास प्रसव से उबरने के लिए आवश्यक समय है और अपनी नौकरी या आय खोने के जोखिम के बिना अपने नवजात शिशुओं की देखभाल कर सकें। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करता है और माताओं और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करता है।

9. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

इस कानून में नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों तक कंपनी के लिए काम किया है। ग्रेच्युटी कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान है जब वे सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या समाप्ति के कारण नौकरी छोड़ते हैं। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम श्रमिकों को नौकरी छोड़ने के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह दीर्घकालिक सेवा के लिए एक पुरस्कार के रूप में कार्य करता है और कर्मचारियों को नौकरियों के बीच या सेवानिवृत्ति के बाद संक्रमण के दौरान अपने वित्त का प्रबंधन करने में मदद करता है।

10. अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

यह कानून कुछ प्रतिष्ठानों में अनुबंध श्रम के रोजगार को नियंत्रित करता है और इसका उद्देश्य अनुबंध श्रमिकों के लिए काम की बेहतर स्थिति प्रदान करना है। यह प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है, और इसमें विशिष्ट मामलों में अनुबंध श्रम के उन्मूलन के प्रावधान शामिल हैं। ठेका श्रम अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि अनुबंध श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और उन्हें काम करने की अच्छी स्थिति प्रदान की जाए। यह उनके रोजगार के लिए मानक निर्धारित करके और यह सुनिश्चित करके अनुबंध मजदूरों के शोषण को रोकने में मदद

करता है कि उन्हें उचित मजदूरी और लाभ प्राप्त हो।

11. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

यह कानून खतरनाक व्यवसायों और क्रियाकलापों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यह गैर-खतरनाक नौकरियों में बच्चों की कामकाजी परिस्थितियों को भी नियंत्रित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उनका शोषण न हो और उनकी शिक्षा से समझौता न हो। बाल श्रम अधिनियम बच्चों को शोषण और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों से बचाता है। खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करके और दूसरों में इसे विनियमित करके, अधिनियम यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि बच्चे स्कूल जा सकें और एक सुरक्षित, स्वस्थ बचपन का आनंद ले सकें।

12. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

यह कानून नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों द्वारा धन की अनिवार्य बचत के लिए एक प्रणाली स्थापित करता है। धन एक भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है, जिसे कर्मचारी सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या कुछ अन्य परिस्थितियों में एक्सेस कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम श्रमिकों को उनके भविष्य के लिए बचत करने में मदद करता है और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों के पास अपने बुढ़ापे में वापस आने के लिए वित्तीय तकिया हो।

13. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

यह कानून कार्यस्थल दुर्घटनाओं या व्यावसायिक बीमारियों के परिणामस्वरूप चोटों, विकलांगता, या मृत्यु के मामले में श्रमिकों या उनके परिवारों को मुआवजा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत नियोक्ताओं को काम से संबंधित चोटों और मौतों के लिए मुआवजे का

भुगतान करने की आवश्यकता होती है। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों और उनके परिवारों को काम से संबंधित दुर्घटनाओं या बीमारियों के मामले में वित्तीय सहायता प्राप्त हो। यह ऐसी घटनाओं के आर्थिक प्रभाव को कम करने में मदद करता है और प्रभावित श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है।

ये कानून सभी श्रमिकों के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए डॉ. अम्बेडकर की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। न्यूनतम मजदूरी स्थापित करके, सुरक्षित काम करने की स्थिति सुनिश्चित करके, विवादों को हल करने के तरीके प्रदान करना, स्वास्थ्य बीमा की पेशकश, ट्रेड यूनियनों का समर्थन करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ये कानून निष्पक्षता, न्याय और समानता के सिद्धांतों को दर्शाते हैं जिनका डॉ. अम्बेडकर ने जीवन भर समर्थन किया।

भारतीय न्यायपालिका की दृष्टि में श्रमिकों हेतु अम्बेडकर का योगदान

भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण मामलों में श्रम अधिकारों में डॉ. बी. आर. अंबेडकर के योगदान और हाशिए के समुदायों के उत्थान के उनके प्रयासों का हवाला दिया है। ये मामले अक्सर श्रम कानूनों को आकार देने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में उनकी विरासत को रेखांकित करते हैं। यहां पर कुछ प्रमुख मामलों पर दृष्टिपात करना समीचीन है -

1. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और अन्य[1]: यह ऐतिहासिक मामला बंधुआ मजदूरी के मुद्दे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 के तहत श्रमिकों के मौलिक अधिकारों से सम्बंधित है। इस मामले को निर्णीत करते समय सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय के लिए डॉ अंबेडकर के दृष्टिकोण और बलात-श्रम को समाप्त करने

[1]एआईआर 1984 एससी 802

और मानव गरिमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवैधानिक प्रावधानों का मसौदा तैयार करने में उनकी भूमिका का हवाला दिया।

2. एम॰ सी॰ मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य[2]**:** खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम से संबंधित इस मामले में, अदालत ने श्रम अधिकारों के लिए डॉ अम्बेडकर की वकालत और सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक शिक्षा के अधिकार पर जोर देने का उल्लेख किया। निर्णय ने बच्चों को शोषण से बचाने और शिक्षा और विकास के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

3. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ[3]**:** प्रस्तुत वाद मुख्य रूप से LGBTQ+ अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण मामला था, इस मामले में न्यायमूर्ति ने मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय में डॉ. अम्बेडकर के व्यापक योगदान का संदर्भ दिया। अदालत ने समानता और गैर-भेदभाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उल्लेख किया, ऐसे सिद्धांत जो हाशिए के श्रमिकों की रक्षा करने वाले विभिन्न श्रम कानूनों के लिए मूलभूत हैं, को विकसित रूप में व्याख्या किया।

4. निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति बनाम भारत संघ[4]**:** यह मामला निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन पर केंद्रित था। सुप्रीम कोर्ट ने श्रम कल्याण की वकालत करने और प्रभावी कानून और नीति कार्यान्वयन के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में डॉ अम्बेडकर की भूमिका को स्वीकार किया।

5. पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया[5]**:** आमतौर पर एशियाड वर्कर्स केस के रूप में जाना जाने वाला यह मामला दिल्ली में एशियाई खेलों के

[2]एआईआर 1996 एससी 699

[3]2018 एससीसी 10

[4]2018 एससीसी ऑनलाइन 1035

[5]एआईआर 1982 एससी 1473

लिए सुविधाओं के निर्माण में नियोजित श्रमिकों के शोषण से संबंधित था। अदालत ने श्रम कानूनों को तैयार करने में डॉ. अंबेडकर के प्रयासों का हवाला दिया, जो उचित मजदूरी और सभ्य काम करने की स्थिति की गारंटी देते हैं, श्रम अधिकारों की रक्षा में राज्य की जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हैं।

6. ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बॉम्बे नगर निगम[6]**:** इस मामले में अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में चर्चा करते हुए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए डॉ. अम्बेडकर की प्रतिबद्धता का संदर्भ दिया। यह सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों को कि श्रम अधिकारों को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया था, प्रस्तुत तर्कों के मूलभूत के रूप में स्वीकार किया।

7. मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ[7]**:** इस ऐतिहासिक मामले ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सभा की बहसों से डॉ. अंबेडकर की अंतर्दृष्टि का हवाला दिया, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर उनके विचार कि श्रम कानून श्रमिकों के उत्थान और सुरक्षा के लिए काम करते हैं, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।

8. महाराष्ट्र राज्य बनाम मनुभाई प्रागाजी वाशी[8]**:** कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच से संबंधित इस मामले में श्रमिकों सहित हाशिए के समूहों के सशक्तिकरण के लिए डॉ. अम्बेडकर के समर्पण का संदर्भ दिया गया है। सामाजिक न्याय और समान अवसर की उनकी व्यापक दृष्टि को श्रम अधिकारों और संबंधित कानूनों की व्याख्या में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रेखांकित किया गया है। ये मामले सामूहिक रूप से बताते हैं कि कैसे डॉ. अम्बेडकर के श्रम अधिकारों में योगदान को भारत में न्यायपालिका द्वारा मान्यता दी गई है और उनका समर्थन किया गया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों

[6]1985 एससीसी (3) 545

[7]1980 एससीआर (3) 1125

[8]एआईआर 1995 एससी 2106

की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए स्थापित किए गए कानूनी ढांचे को मजबूती मिली है।

ये मामले बताते हैं कि कैसे डॉ. अम्बेडकर के कार्य और दर्शन भारत में श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति न्यायपालिका के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। उनका योगदान कानूनी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण रहा है जिसका उद्देश्य श्रमिकों को शोषण से बचाना और सभी के लिए समानता और गरिमा को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष

भारत में श्रम अधिकारों के संरक्षण में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के स्मारकीय योगदान ने देश के कानूनी और सामाजिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में, सामाजिक न्याय, समानता और हाशिए के समुदायों के उत्थान के लिए उनकी दूरदर्शी वकालत विभिन्न श्रम कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों में निहित है। आंबेडकर के अथक प्रयासों ने एक मजबूत कानूनी ढांचे की स्थापना सुनिश्चित की, जो श्रमिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करता है, उचित मजदूरी, गैर-भेदभाव और मानवीय कार्य स्थितियों जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में अक्सर अम्बेडकर के सिद्धांतों और योगदानों का आह्वान किया है, जो मानव गरिमा और सामाजिक न्याय के लिए मौलिक के रूप में श्रम अधिकारों के महत्व को मजबूत करते हैं। उनकी विरासत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को प्रेरित और मार्गदर्शन करती है, यह सुनिश्चित करती है कि समानता और निष्पक्षता के मूल्य भारत की श्रम नीतियों और प्रथाओं के केंद्र में बने रहें। श्रम अधिकारों पर डॉ. अंबेडकर का स्थायी प्रभाव सभी के लिए एक न्यायसंगत समाज बनाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सन्दर्भ सूची

1. डॉ चतुर्वेदी, मुरलीधर, "भारत का संविधान" चौदहवाँ संस्करण-2010, इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशंस
2. डॉ पाण्डेय, जय नारायण, "भारत का संविधान" चौवालीसवाँ संस्करण-2011, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी
3. प्रो॰ मिश्र, सूर्य नारायण, "श्रम एवं औद्योगिक विधि" सत्रहवाँ संस्करण-2010, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी
4. श्री सिंह, इंद्रजीत, "श्रमिक विधियां" बाईसवाँ संस्करण-2017, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस
5. डॉ शर्मा, गंगा सहाय, "श्रम एवं औद्योगिक विधि" तृतीय संस्करण-2006, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा॰ लि॰
6. श्री पाण्डेय, बालेश्वर, "श्रम कल्याण और औद्योगिक संबंध" संस्करण-2020, रावत पब्लिकेशंस